



2026:AHC: 2461

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19526 वर्ष 2025

राम दयाल सिंह एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : उग्रसेन कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री उग्रसेन कुमार पाण्डेय और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग में वर्ष 1971-1991 के बीच 'ग्रुप सी' के पद पर हुई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है और वे 02.12.2000 को जारी शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के लाभ के हकदार हैं।

3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कांस्टेबल के रूप में नियुक्त होने से पहले बिताई गई सेवा अवधि को, एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने हेतु 19 वर्ष की सेवा की गणना के लिए संज्ञान में लिया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध रिट पिटीशन संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 के साथ-साथ समान याचिका रिट ए संख्या 6429 वर्ष 2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य), जिसका निर्णय 22.02.2018 को हुआ था, पर विवाद नहीं किया। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के तहत 'इंट्रा कोर्ट अपील' (अन्तः न्यायालयीय अपील) में चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसमें अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.09.2012 के क्रम में उचित ठहराया गया था।

5. मामले के गुण-दोष पर जाए बिना, न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर भवन, लखनऊ को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे रिट याचिकाकर्ता के दावे पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश